



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन



राजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065

ई-मेल :rmssc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : http://rmssc.health.rajasthan.gov.in

No. F 3()/RMSC/Finance/SOP/2026-27/RajR=24352523

Date: *As per Signed.*

-:Office order (2026-27/01):-

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के निदेशक मण्डल की 24 वीं बैठक दिनांक 19.10.2012 के एजेण्डा संख्या 9 के क्रम में लिये गये निर्णय के अनुसार आदेश क्रमांक SOP F3()/RMSC/Fin/SOP/2012/318 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक को सामान्य शक्तियों एवं निगम के अन्य प्राधिकारियों को विशिष्ट वित्तीय शक्तियों का प्रदत्तीकरण किया गया था

दिनांक 24.07.2026 को आयोजित निदेशक मण्डल की 102 वीं बैठक के एजेण्डा संख्या 18 के क्रम में निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार चेयरपर्सन, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से अनुमोदन उपरांत आदेश क्रमांक 318 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा जारी SOP के विन्दु संख्या में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

Sr. No. of SOP	Present Schedule of powers (SOP)		Amended Schedule of powers (SOP)	
	Types of Powers	Competent Authority	Types of Powers	Competent Authority
10	Tender Inviting authority (i) For Drugs, medicines surgicals and sutures	ED(P) (After approval of MD)	Bid Inviting Officer * (ii) For Drugs, medicines surgicals and sutures	Director (P) (After approval of MD)
	(ii) For Equipments and hospital items	ED(EPM) (After approval of MD)	(ii) For Equipment Procurement and Maintenance (EPM)	Director (P) (After approval of MD)
10 (A)	-	-	Purchase committee (Member Secretary)	
	-	-	(A)- For Drugs, Medicines, Surgicals & Sutures	Director(P)
	-	-	(B)- For Equipment Procurement and Maintenance (EPM)	Director(P)
13.	Execution of Agreement Witness: Any two officers other than the executing officer	ED(P/EPM/F/QC/L)/OSD By concerned section head	Execution of Agreement Witness: Any two officers other than the executing officer	Director(P)(for Drugs, Surgical, Sutures & EPM Cell) and ED(F/QC/L)/OSD) By concerned section head

*** As per RTPP Rule 2013, "The term 'Tender Inviting Authority' shall be substituted by 'Bid Inviting Officer.' Hence term is also amended as per rules**

प्रबन्ध निदेशक,
आरएमएससीएल

No. F 3()/RMSC/Finance/SOP/2026-27/

Date:

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान एवं अध्यक्ष, आरएमएससी।
2. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक (समस्त) / विशेषाधिकारी / अतिरिक्त निदेशक (आई. टी.) कंपनी आरएमएससी, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

letter 2024

RajKaj Ref No.:
24352523



Digitally signed by
PUKHRAJ SEN
Designation: Mana
DirectorPage 1
Date: 2026-09-07 1
IST